कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-Mail:- deanshahdol@gmail.com Website:- WWW.GMCSHAHDOL.ORG Office No:- 07652-243000

क्रमांक/..5516../छात्र शाखा/एम.सी./2022 शहडोल, दिनांक..22../..02../2022

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु विज्ञापन

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये विभिन्न स्ववित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के आदेश पृ.क्र./F-1514/कॉलेज/A21G0260/334/2022, भोपाल, दिनांक 03.02.2022 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरांत में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां :-

सं.क्र.	आवेदन	दिनांक
1	आवेदन की प्रारम्भ तिथि	23 फरवरी, 2022
2	आवेदन की अंतिम तिथि	08 मार्च 2022 को सायं 05:00 बजे तक
3	काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	09 एवं 10 मार्च, 2022
4	काउंसिलिंग स्थल	महाविद्यालय के परीक्षा हॉल में।

II. पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण :-

सं.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी0/डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1.	MASTER IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN (MICRO.)	POST GRADUATE	05
2.	BACHELOR IN PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
3.	BACHELOR IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
4.	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5.	ORTHO. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
6.	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	30
7.	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	20
8.	ANESTHSIA TECHNICIAN	CERTIFICATE	30
9.	E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
10.	HOSPITAL MEDICAL RECORDS SCIENCE	CERTIFICATE	20
11	RESPIRATORY TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
	TOTAL		315

(i) इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने या हटाने तथा सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।

(ii) सीटों का आरक्षण/ आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।

(iii) प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 30% प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगी।

(iv) दिव्यांग प्रवर्ग - ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, उनके लिये शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 5% प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज होगा।

(v) शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

DEAN
Government Medical College
Shahdol (M.P.)

III. **प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण :-**

सं.क्र.	पाठ्यकम	शैक्षणिक शुल्क (सत्र 2021-221 हेतु)	रिमार्क
1	POST GRADUATE	1,38,060/- (रू. 1,33,060/- शैक्षणिक शुल्क .रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	अगामी शैक्षणिक सत्र हेतु म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा निर्धारित शैक्षणिक शुल्क देय होगा
2	DEGREE	79,520/- (रू. 74,520/- शैक्षणिक शुल्क. रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	
3	DIPLOMA	52,910/- (रू. 47,910/- शैक्षणिक शुल्क. रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	
4	CERTIFICATE	39,604/- (रू. 34,604/- शैक्षणिक शुल्क. रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	

iv. **शैक्षणिक योग्यता :-**

(a) For admission in MASTER LAB. Technician (Microbiology) Candidate should have passed full time regular Bachelor's in Medical Laboratory Technology **(BMLT)** from any recognized university with minimum 50% aggregate. In case of SC/ST/OBC students the relaxation of the eligibility percentage for the admission will be as per the Madhya Pradesh state Government rules.

(b) छात्र को बारहवी परीक्षा 10+2 पद्धिति से हायर सेकेण्ड्री भौतिकि, रासायन, जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण अनिवार्य है। उक्त सभी कोर्स हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा।

(c) मेरिट लिस्ट केटेग्गरी के अनुसार प्रदर्शित की जावेगी। बारहवीं में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जावेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके मेरिट अंक तथा बायलॉजी में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जावेगीं।

v. **अन्य नियम एवं शर्ते :-**

1. **आवेदन शुल्क :-** आवेदन पत्र के साथ अनरक्षित वर्ग (OBC-CREAMY LAYER/ UR) के अभ्यर्थियों को **रू. 500/-(पाच सौ रूपये मात्र)** तथा अनारक्षित वर्ग (OBC-NON CREAMY LAYER/ SC/ ST/ EWS) के अभ्यर्थियों को **रू.300/-(तीन सौ रूपये मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट जो कि "Government Medical College Autonomous Society" के नाम देय हो जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन पत्र सीधे अथवा स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल म.प्र. में **दिनांक 08.03.2022 तक सायं 5:00** बजे तक जमा किये जा सकेगें। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् जमा किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
6. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. आवेदक को काउंसिलिंग में उपस्थिति होने के लिये रू.5000/- (पांच हजार रूपये मात्र) मात्र का ड्राफ्ट जो कि "Government Medical College Autonomous Society" के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य

होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटित ना होने की स्थिति में ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जावेगा। सीट आवंटन पश्चात् शेष शैक्षणिक शुल्क 07 दिवस के अंदर ड्राफ्ट/ चालान के माध्यम से जमा करनी होगी ऐसा न होने की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि **रू.5000/- (पांच हजार रूपये मात्र)** वापस नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी। चैक किसी भी स्थिती में मान्य नहीं होगा।

10. आवेदक को सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन-पत्र, जिसका प्रारूप संलग्न है में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।

11. पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर किया जावेगा। मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

- POST GRADUATE पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण स्नातक (BMLT) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा।
- अन्य डिग्री/ डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण हायर सेकण्ड्री (10+2) की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। अंक समान होने की स्थिति में उम्र में वरिष्ट आवेदक को वरीयता दी जायेगी। यदि अंक एंव उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले का वरीयता दी जाएगी।

12. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र. के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. विभागीय कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10% प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प. भोपाल/संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेंगी। विभागीय कर्मचारियों के लिये मैरिट का निर्धारण सेवा अवधि की गणना के आधार पर किया जावेगा।

14. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जावेगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जावेगा।

15. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-आप्शन के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी :-

1. विभागीय कर्मचारी 2. एस.टी. श्रेणी 3. एस.सी. श्रेणी 4. ओ.बी.सी. श्रेणी 5. अनारक्षित श्रेणी

यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :-

(क) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

(ख) एस.सी. श्रेणी खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

(ग) अगर एस.टी. और. एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

(घ) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

16. जिस पाठ्यक्रम मे 03 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रमों के रिक्त सीट मे मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।

17. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।

18. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय शहडोल (म.प्र.) होगा।

19. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रू. 5,000/- (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी।

20. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय होगा।

21. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।

22. काउंसिलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 01 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटो (जो आवेदन पत्र में चस्पा की गई हो) लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी :-

दस्तावेज की सूची :-

1. 10वीं की अंकसूची **(जन्मतिथि प्रमाण हेतु)**।
2. 12वीं की अंकसूची **(भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)**।
3. स्नातक **(बी.एस.सी./बी.एम.एल.टी.) की अंक सूची (पी.जी. डिप्लोमा/ POST GRADUATE हेतु)**।
4. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र।
5. माइग्रेशन प्रमाण-पत्र।
6. जाति प्रमाण-पत्र **(आरक्षित वर्ग हेतु)**।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण-पत्र **(वित्तीय वर्ष 2021-22 का)** ।
8. ई. डब्ल्यू. एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
9. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
10. 02 पासपोर्ट साइज फोटो।
11. विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
12. पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म०प्र०)

DEAN
Government Medical College
Shahdol (M.P.)

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्रः 2021-22

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक	दिनांक	बैंक का नाम	राशि

1. Name of Candidate in Capital Letter: ....
   आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में (हिन्दी में) : --
2. लिंग (पु./म.): -------------------------------------
3. Category (श्रेणी): (SC/ST/OBC/ UR/EWS)--
4. Name of Father in Capital Letter: Shri..
   पिता का नाम (हिन्दी में) : श्री --
5. Name of Mother in Capital Letter: Smt..
   माता का नाम (हिन्दी में) : श्रीमती --
6. जन्म तिथि (Date of Birth) : अंको में --------------------------------------- (dd/mm/yyyy)
   शब्दों में – ....
7. Permanent full address in capital letter : ---

   Pin Code : --

   पूर्ण स्थाई पता (हिन्दी में) : --

   पिन कोड : --
8. वर्तमान पता पिन कोड सहित : ---

   ----
9. आवेदक का मोबाइल नम्बर : ....ई-मेल आई.डी. : ....
10. आवेदक का आधार कार्ड नं. : ....समग्र आई.डी. :...
11. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है ? : .... (हां/नहीं) यदि नहीं तो राज्य का नामः ....
12. क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है ? : .... (हां/नहीं)

13. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) :-

Exam Passed	Board	Roll No.	Passing Year	Subjects	Total Marks	Out of Marks	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8
12th				Physics			
				Chemistry			
				Biology			
				Total (PCB)			
				Total (All Subject)			
BMLT							

14. निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें :-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन (हां/नहीं/लागू नहीं)			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्क्रूटिनी समिति द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1	आवेदन शुल्क - डिमाण्ड ड्राफ्ट				
2	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची				
3	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची				
4	स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (T.C.)				
5	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
6	आधार कार्ड				
7	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र				
8	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र/ ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र (आरक्षित संवर्ग हेतु)				
9	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु)				
10	Gap Certificate (यदि वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)				
11	मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सेवारत अभ्यर्थी हेतु)				

// घोषणा–पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में दी गई क्र. 01 से 14 तक की समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि तक अन्य किसी संस्था/विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा और न ही अन्य संस्था से शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करूंगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

स्थान :–

दिनांक :– **आवेदक के हस्ताक्षर**

नोट :– आवेदक को विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु पृथक–पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पाठ्यक्रमों हेतु एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा।

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

हस्ताक्षर स्क्रूटिनी समिति :–

1. .... 2......................... 3. ....

हस्ताक्षर प्रवेश समिति :–

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....